

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2020—आषाढ़ 19, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Rajasekhar Kukatlapalli आत्मज श्री Moses Kukatlapalli, उम्र 54 वर्ष निवासी-क्वा. नं.-4/बी, सड़क नं.-14, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में मेरा लघु नाम K. Rajasekhar आत्मज श्री K. Moses दर्ज है. मेरे कुछ अन्य शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम Rajasekhar Kukatlapalli आत्मज Shri Moses Kukatlapalli, दर्ज है जो कि पूर्ण व सही है. मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे लघु नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण व सही नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे Rajasekhar Kukatlapalli आत्मज Shri Moses Kukatlapalli के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

K. Rajasekhar
पिता-Shri K. Moses
निवासी-क्वा. नं.-4/बी,
सड़क नं.-14,
सेक्टर-10, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Rajasekhar Kukatlapalli
पिता-Shri Moses Kukatlapalli
निवासी-क्वा. नं.-4/बी,
सड़क नं.-14,
सेक्टर-10, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती भारती राजपूत ध. प. श्री रामकुमार राजपूत, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-45-ए, सड़क एवेन्यू-ए, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम भारती ठाकुर तथा जन्म तिथि 16-10-1968 है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है विवाह पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती भारती राजपूत हो गया। मेरे नाम की संपत्ति, एल. आई. सी. के पॉलिसी तथा अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती तोषण भारती दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम श्रीमती भारती राजपूत ध. प. श्री रामकुमार राजपूत रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती भारती राजपूत ध. प. श्री रामकुमार राजपूत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

भारती ठाकुर
श्रीमती तोषण भारती
पति-श्री रामकुमार राजपूत
निवासी-क्वा. नं.-45-ए,
सड़क एवेन्यू-ए,
सेक्टर-7, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती भारती राजपूत
पति-श्री रामकुमार राजपूत
निवासी-क्वा. नं.-45-ए,
सड़क एवेन्यू-ए,
सेक्टर-7, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती एम. भानुमती ध. प. श्री एम. नागेश्वर राव, निवासी-क्वा. नं.-15/एच, ओ. एल. सी. कैम्प-1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं। उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती भानुमती दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती एम. भानुमती Smt. M. Bhanumati रख ली हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती एम. भानुमती (Smt. M. Bhanumati) ध. प. श्री एम. नागेश्वर राव (Shri M. Nageshwar Rao) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती भानुमती
(Smt. Bhanumati)
पति-श्री एम. नागेश्वर राव
(W/o-Shri M. Nageshwar Rao)
निवासी-क्वा. नं.-15/एच,
ओ. एल. सी. कैम्प-1, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती एम. भानुमती
(Smt. M. Bhanumati)
पति-श्री एम. नागेश्वर राव
(W/o-Shri M. Nageshwar Rao)
निवासी-क्वा. नं.-15/एच,
ओ. एल. सी. कैम्प-1, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप कुमार साव आत्मज श्री हेम सागर साव, उम्र 45 वर्ष, निवासी-ग्रा.+पो. बड़ेभण्डार, थाना-पुसौर, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम भगताराम साव था, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रदीप कुमार साव आत्मज श्री हेम सागर साव रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे प्रदीप कुमार साव आत्मज श्री हेम सागर साव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

भगताराम साव
पिता-श्री हेम सागर साव
निवासी-ग्राम+पो. बड़ेभण्डार,
थाना-पुसौर,
तहसील-पुसौर
जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

नया नाम

प्रदीप कुमार साव
पिता-श्री हेम सागर साव
निवासी-ग्राम+पो. बड़ेभण्डार,
थाना-पुसौर,
तहसील-पुसौर
जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Prakash Rao Thaware आत्मज Shri Krishna Rao Thaware उम्र 57 वर्ष, निवासी-41/ए, मैत्री विहार, कोहका, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम P. R. Thaware तथा मेरे नाम की संपत्ति के दस्तावेजों में Prakash Thaware आत्मज Shri Krishna Rao दर्ज है जो कि अपूर्ण है। जबकि मेरा वास्तविक नाम Prakash Rao Thaware आत्मज Shri Krishna Rao Thaware है जो कि मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज है। मैं मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा मेरी संपत्ति के दस्तावेजों में मेरे नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Prakash Rao Thaware आत्मज Shri Krishna Rao Thaware के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Prakash Thaware
P. R. Thaware
पिता-Shri Krishna Rao
निवासी-41/ए, मैत्री विहार,
कोहका, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Prakash Rao Thaware
पिता-Shri Krishna Rao Thaware
निवासी-41/ए, मैत्री विहार,
कोहका, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Smt. Sriram Nirmala ध. प. Shri B. Sriram, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-1-ए, सड़क नं.-39, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम S. Nirmala दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम Smt. Sriram Nirmala रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे Smt. Sriram Nirmala ध. प. Shri B. Sriram, के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

S. Nirmala
पति- Shri B. Sriram
निवासी-क्वा. नं.-1-ए,
सड़क नं.-39,
सेक्टर-10, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Smt. Sriram Nirmala
पति- Shri B. Sriram
निवासी-क्वा. नं.-1-ए,
सड़क नं.-39,
सेक्टर-10, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Radheshyam Dewangan आत्मज Shri Kisun Lal Dewangan, उम्र 52 वर्ष, निवासी-प्लॉट नंबर-114, शिल्प सागर अपार्टमेंट के पास, अकांक्षा कुंज, वार्ड नं.-63, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ शासकीय अर्द्धशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम Radheshyam आत्मज Shri Kishun Lal Dewangan, दर्ज है। जो कि अपूर्ण व मेरे पिता के नाम की स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे अन्य शासकीय अभिलेखों में मेरा पूर्ण/सही नाम Radheshyam Dewangan आत्मज Shri Kisun Lal Dewangan दर्ज है। मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Radheshyam Dewangan आत्मज Shri Kisun Lal Dewangan के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Radheshyam
पिता-Shri Kishun Lal Dewangan
निवासी-प्लॉट नंबर.-114,
शिल्प सागर अपार्टमेंट के पास,
अकांक्षा कुंज, वार्ड नं.-63,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Radheshyam Dewangan
पिता-Shri Kisun Lal Dewangan
निवासी-प्लॉट नंबर.-114,
शिल्प सागर अपार्टमेंट के पास,
अकांक्षा कुंज, वार्ड नं.-63,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उपेन्द्र सिंह वर्मा, आत्मज स्व. उदय सिंह, उम्र 57 वर्ष, निवासी-मकान नं.-249, ग्राम-ढौर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम उपेन्द्र सिंह (Upendra Singh) दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “वर्मा” जोड़कर पूर्ण नाम उपेन्द्र सिंह वर्मा (Upendra Singh Verma) रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे उपेन्द्र सिंह वर्मा (Upendra Singh Verma) आत्मज स्व. उदय सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
उपेन्द्र सिंह (Upendra Singh) पिता-स्व. उदय सिंह निवासी-मकान नं.-249, ग्राम-ढौर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	उपेन्द्र सिंह वर्मा (Upendra Singh Verma) पिता-स्व. उदय सिंह निवासी-मकान नं.-249, ग्राम-ढौर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्रशेखर साहू आत्मज स्व. अर्जुन लाल साहू उम्र 32 वर्ष, निवासी-क्रांति चौक अहिवारा, वार्ड नं.-1, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ मेरे कक्षा दसवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम चन्द्रशेखर (Chandrashekher) तथा कक्षा बारहवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में चन्द्रशेखर (Chandrashekhar) दर्ज है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “साहू” जोड़कर नया नाम चन्द्रशेखर साहू (Chandrashekhar Sahu) आत्मज श्री अर्जुन लाल साहू रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे चन्द्रशेखर साहू (Chandrashekhar Sahu) आत्मज स्व. अर्जुन लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
चन्द्रशेखर (Chandrashekher) पिता-स्व. अर्जुन लाल साहू निवासी-क्रांति चौक अहिवारा, वार्ड नं.-1, तह.-धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	चन्द्रशेखर साहू (Chandrashekhar Sahu) पिता-स्व. अर्जुन लाल साहू निवासी-क्रांति चौक अहिवारा, वार्ड नं.-1, तह.-धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पुरिन्दर कोसरिया आत्मज श्री सम्पत लाल कोसरिया, उम्र 24 वर्ष, जाति सतनामी निवासी-बाल आश्रम, कचहरी चौक, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम पुरिन्दर कोसरिया आत्मज सम्पत लाल कोसरिया है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम पुरिन्दर कोसरे आ. श्री सम्पत कोसरिया दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य सभी अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे पुरिन्दर कोसरिया आत्मज श्री सम्पत लाल कोसरिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
पुरिन्दर कोसरे पिता-श्री सम्पत लाल कोसरिया निवासी-बाल आश्रम, कचहरी चौक, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	पुरिन्दर कोसरिया पिता-श्री सम्पत लाल कोसरिया निवासी-बाल आश्रम, कचहरी चौक, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नन्द कुमार मौर्य आत्मज Shri Ram Lachhan Maurya उम्र 52 वर्ष, निवासी-ऋषभ परिसर, राजीव नगर, जोन-2, ऋषभ टेक्सटाईल के पास, सेक्टर-11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नन्द कुमार Nand Kumar आत्मज Shri Ram Lachhan आधार कार्ड में नन्द कुमार मौर्य Nand Kumar Maurya आत्मज Shri R. L. Maurya दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम Shri Ram Lachhan Maurya है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “मौर्य Maurya” जोड़कर पूर्ण नाम नन्द कुमार मौर्य Nand Kumar Maurya आत्मज Shri Ram Lachhan Maurya रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे नन्द कुमार मौर्य Nand Kumar Maurya आत्मज Shri Ram Lachhan Maurya के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
नन्द कुमार Nand Kumar पिता- Shri R. L. Maurya Shri Ram Lachhan निवासी-ऋषभ परिसर, राजीव नगर, जोन-2, ऋषभ टेक्सटाईल के पास, सेक्टर-11, खुर्सीपार भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	नन्द कुमार मौर्य Nand Kumar Maurya पिता- Shri Ram Lachhan Maurya निवासी-ऋषभ परिसर, राजीव नगर, जोन-2, ऋषभ टेक्सटाईल के पास, सेक्टर-11, खुर्सीपार भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 26 जून 2020

प्र. क्र./ 01/ब-113 (4)/वर्ष 2019-20

क्रमांक/63/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2020.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण श्री राजेश्री महंत डॉ. रामसुंदरदास गुरु स्व. राजेश्री महंत वैष्णवदास एवं अन्य ट्रस्टीगण निवासी मठपारा रायपुर ने ठाकुर रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट दुधाधारी मठ, मठपारा, तहसील व जिला रायपुर पंजीयन क्रमांक 130 में द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर द्वारा वाद क्रमांक 03-ए/2013 ठाकुर रामचंद्र स्वामी मंदिर श्री दूधाधारी मठ, मठपारा रायपुर एवं अन्य 01 विरुद्ध रजिस्टार पब्लिक ट्रस्ट रायपुर व अन्य 11, में पारित आदेश दिनांक 16-05-2019 के पालन ट्रस्टी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 27-07-2020 को दोपहर 03.00 बजे नियत है। जिस किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य को उपरोक्त आवेदन के संबंध में आपत्ति हो, वह स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधी या अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति दर्ज करा सकता है। नियत समयावधि पश्चात् प्रस्तुत दावा-आपत्ति पर कोई सुनवाई/विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईशतहार आज दिनांक 26-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्रणव सिंह
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/104.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदर्श खनिज सहकारी समिति मर्या. बघमरा पं. क्र. 2640 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदर्श खनिज सहकारी समिति मर्या. बघमरा पं. क्र. 2640 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. नेताम/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/105.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. चूल्हापथरा पं. क्र. 2436 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. चूल्हापथरा पं. क्र. 2436 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/106.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बोरिदकला पं. क्र. 2437 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बोरिदकला पं. क्र. 2437 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/107.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. अलोरी पं. क्र. 2438 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. अलोरी पं. क्र. 2438 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/108.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. घानापुरी पं. क्र. 2988 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. घानापुरी पं. क्र. 2988 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/109.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत महिला विकास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2731 विकासखंड-डोंडी जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत महिला विकास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2731 विकासखंड-डोंडी जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/110.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत राजहरा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. राजहरा पं. क्र. 2846 विकासखंड-डोंडी जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत राजहरा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. राजहरा पं. क्र. 2846 विकासखंड-डोंडी जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/111.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी ग्रामीण खनिज सहकारी समिति मर्या. कसही पं. क्र. 2359 विकासखंड-डोंडीलोहारा जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी ग्रामीण खनिज सहकारी समिति मर्या. कसही पं. क्र. 2359 विकासखंड-डोंडीलोहारा जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/112.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. चिटौद पं. क्र. 2751 विकासखंड-गुरुर जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. चिटौद पं. क्र. 2751 विकासखंड-गुरुर जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/113.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय भवानी खदान सहकारी समिति मर्या. मड़ियाकट्टा पं. क्र. 2763 विकासखंड-डौंडीलोहारा जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत जय भवानी खदान सहकारी समिति मर्या. मड़ियाकट्टा पं. क्र. 2763 विकासखंड-डौंडीलोहारा जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/114.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 2082 विकासखंड-बालोद जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 2082 विकासखंड-बालोद जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज नेताम/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

मुकेश कुमार ध्रुव,
उप पंजीयक.